न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
29 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016	16.03.2016	15.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक ..... प्रार्थी

बनाम

1–खाद्य कारोबारकर्ता श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन जाति महाजन निवासी सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
2– मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक
3–श्री छोटे लाल सैनी प्रोपरायटर मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट एच–17, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा जयपुर निवासी 18 ए, वार्ड नं. 1 प्रताप नगर, माचेडा जिला जयपुर
4–मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट एच–17, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा जयपुर
..... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण अनु.।

दिनांक 15.07.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2015 को समय 01:30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सुनिल कुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया।

आवेदक द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में कागज के कार्टून में लगभग 130 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक 500 ग्राम पैक के **वनस्पति लाईट फैट कुंकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** रखा हुआ जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर, विक्रेता को सूचित कर दो प्रतियां विक्रेता श्री सुनिल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **वनस्पति लाईट फैट कुंकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 106 एवं पैकिंग की दिनांक अगस्त 2015 थी, वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा हैं, 500 ग्राम के चार पैकेट खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा **वनस्पति लाईट फैट कुंकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** के 500 ग्राम के चार पैकेट को एक–एक पैकेट के चार भाग तैयार कर, चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1145 अंकित किया । प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1145 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

श्री सुनिल कुमार जैन पुत्र श्री महावीर प्रसाद जैन मैसर्स सुरेश चन्द सुनिल कुमार जैन सब्जी मण्डी निवाई जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट एच–17, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा जयपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट एच–17, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे परन्तु इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस बाबत आवेदक ने श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी जोन–प्रथम, वृत के, वार्ड–तृतीय जयपुर को पत्र प्रेषित कर उक्त फर्म के नाम व पते चाहे जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के प्रोपरायटर का नाम व पता प्रेषित कर श्री छोटे लाल सैनी को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/4915 दिनांक 21.12.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्यविश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/812/एक्ट/2015/901 दिनांक 27.11.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **वनस्पति लाईट फैट कुंकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड) अवमानक(Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक(Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का **वनस्पति लाईट फैट कुंकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** का विक्रय

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.06.2016 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से को श्री अनुराग जैन एडवोकेट ने व अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से श्री तेजमल जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **वनस्पति लाईट फैट कुकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस एवं जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **वनस्पति लाईट फैट कुकिंग स्पेशल (बृजवासी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 4,00,000/– (अक्षरे चार लाख रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 5,00,000/– (अक्षरे पांच लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 15.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

([illegible])
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक